न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– 101/2024

GCMS NO. 2024/432

1. फुलचन्द पुत्र ओंकार मल
2. बाबुलाल पुत्र ओंकार मल
3. मोहनलाल पुत्र ओंकार मल
4. सुरसती देवी पत्नी ओंकारमल

समस्त निवासीगण गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

...................प्रार्थीगण

– बनाम –

1. सहायक खनिज अभियन्ता खेतड़ी खनीज विभाग
2. रामकुमार पुत्र झेदाराम उर्फ रामेश्वर जाति माली निवासी गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
3. माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी सचिवालय देवस्थान विभाग जयपुर
4. धोघड़ी पुत्री किस्तुरी)
5. प्रकाश पुत्र किस्तुरी (फौत)

   5/1 तीजा देवी पत्नी स्व. प्रकाश
   5/2 नगेन्द्र पुत्र स्व. प्रकाश
   5/3 संजय पुत्र स्व. प्रकाश
   5/4 रवि पुत्र स्व. प्रकाश
6. बनारसी पुत्री किस्तुरी

   समस्त निवासीगण गोठड़ा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना राज.
7. प्रभारी अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोठडा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128/111 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री सतीश कुमार सैनी– अभिभाषक वादीगण की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक :– 02/12/25

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थीगण की ओर प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम गोठड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 खाता सं. नया 267 पुराना 241 के खसरा नं. 132 रकबा 0.7200 है., ख.नं. 837/414 रकबा 0.3900 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर का प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख. नं. 132 रकबा 0. 72 हैक्टर के पूर्व में अप्रार्थी सं.3 की खातेदारी भूमि ख. नं. 131 रकबा 0.38 है. ख. नं. 134 रकबा 0.37 है. , ख. नं.135 रकबा 0.33 हैक्टर स्थित है तथा उत्तर में अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख. नं. 1329/68 है.अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी भूमि ख. नं. 918/69 रकबा 0.02 हैक्टर स्थित है तथा अप्रार्थी सं.4 लगायत 6 की खातेदारी भूमि ख. नं. 133 रकबा 0.45 हैक्टर स्थित है। उक्त अप्रार्थीगण [illegible] 6 प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख. नं.132 रकबा 0.72 हैक्टर की सीमा के साथ छेड़ छाड़ करते [illegible] सीमा को काट देते है तथा सीमा चिन्हो को नष्ट कर देते है। प्रार्थी उक्त अप्रार्थीगण को सीमा ठीक करने [illegible] लिये कहता है तो वह नहीं मानते व मारपीट करने पर आमादा हो जाते है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि [illegible] 1308/1233 रकबा 0.39 हैक्टर के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं. 8 राज्य सरकार की खातेदारी भूमि [illegible] 1308/1233 रकबा 1.35 है. ख. नं. 1311/1235 रकबा 0.08 है., ख. नं. 1321/1271 रकबा 0.4713 हैक्टर स्थित है तथा अप्रार्थी सं. 7 की खातेदारी भूमि ख. नं. 1232/433 रकबा 0.50 हैक्टर स्थित है । अप्रार्थी सं.8 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:01:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

भूमि पर जिन लोगो का कब्जा है वे तथा अप्रार्थी सं. 7 प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख. नं. 837/414 की सीमा के साथ छेड़छाड़ करते है व सीमा को काट देते है तथा सीमा चिन्हो को नष्ट कर देते है। प्रार्थी उक्त उनको सीमा ठीक करने के लिये कहता है तो वह नहीं मानते व मारपीट करने पर आमादा हो जाते है। इस पर प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार साहब खेतड़ी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पेश किया जिसपर तहसीलदार साहब खेतड़ी ने पटवारी हल्का गोठड़ा के नाम से प्रार्थी की उक्त भूमि ख. नं. 132 व 837/414 का सीमा ज्ञान करवाने का आदेश दिया । तहसीलदार खेतड़ी के आदेश क्रमांक 619 दिनांक 13.06.2024 की पालना में पटवार हल्का गोठड़ा ने दिनांक 02.07.2024 को प्रार्थी की भूमि ग्राम गोठड़ा के ख. नं. 132 व 837/414 का सीमाज्ञान मौके पर उपस्थिति मौतबीरान के समक्ष कराया और मौके पर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये एवं सीमा चिन्ह कायम किये गये। सीमा ज्ञान की रिपोर्ट संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी ने सीमाज्ञान के अनुसार उसी रोज अपने खेत 132 व 837/414 के साथ तोड़ी हुई सीमा को ठीक कर दिया। अप्रार्थीगण व जिन लोगो का अप्रार्थी सं. 3 व 8 की भूमि पर कब्जा काश्त है वे उक्त सीमा ज्ञान को नहीं मान रहे है तथा वे मौका देखकर अपनी अपनी भूमि की सीमा के साथ लगती हुई प्रार्थीगण की भूमि 132 व 837/414 की सीमा को तोड देते है एवं सीमा चिन्हो को नष्ट कर देते। जब प्रार्थीगण मना करते है तो मारपीट करने पर आमादा हो जाते। इसलिये यह आवेदन पत्र प्रार्थीगण के खेत ख. नं. 132 व 837/414 की पत्थर गढी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की वाके ग्राम गोठड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख. नं. 132 रकबा 0.72 है. की उत्तरी, पूर्वी, व दक्षिणी सीमा जो ख. नं. 1329/68, 918/69, 131, 135, 134, 133 के साथ लगती है, तथा ख. नं. 837/414 रकबा 0.39 हैक्टर की पश्चिमी सीमा जो ख. नं. 1311/1235, 1321/1271, 1308/1233, 1232/433 के साथ लगती है। उक्त खसरा नम्बरो की सर्वेसीट से नपती करवाकर प्रार्थी की भूमि ख. नं. 132 रकबा 0.72 है.की उत्तरी, पूर्वी, व दक्षिणी सीमा पर तथा ख. नं. 837/414 रकबा 0.39 हैक्टर की पश्चिमी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश दिया जावे ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 8 को जवाब प्रस्तुत करने का प्रर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद इनकी ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 का जवाब प्रार्थना–पत्र अवसर बंद किया गया।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 02.07.2024 एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया 1, 200, 181, 102 एवं 326 ग्राम गोठड़ा पेश की गई।

पत्रावली पेश हुई। विद्वान योग्य अधिवक्ता उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस समाहत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम गोठडा तहसील खेतडी स्थित भूमि के खसरा नम्बर 132 रकबा 0.72 है., खसरा नम्बर 837/414 रकबा 0.39 है. किता 2 कुल रकबा 1.11 है. फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 02.07.2024 के आधार पर सर्वेसीट से उभय पक्षकरान की उपस्थिति में पुनः नपती करवाकर 600/– रूपये फीस पर सीमा कायम कर के सीमांकन के सम्यक् समाधान उपरान्त प्रार्थी के खर्चे पर सीमा ... कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवाई ...

निर्णय आज दिनांक 02/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर व मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:01:45 IST
Reason: SelfAttested

(सु... चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन ... खेतड़ी